संख्या 5369/ब्यूरो-15-76

प्रेषक,

भक्ति देव मुकर्जी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के मुख्य कार्यकारी (कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन गठित), उत्तर प्रदेश।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 1978

विषयः– मैन्युफैक्चरिंग एण्ड अदर कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर, 1975, इन्टरनल आडिटर्स की नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं०3058 ब्यूरो 15/76, दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को यह विधिक राय दी गयी है कि सरकारी कम्पनियों पर कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619 के अतिरिक्त धारा 227 के प्राविधान भी लाग होते हैं और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग एण्ड अदर कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर, 1575 (प्रतिलिपि संलग्न है) धारा 227 की उपधारा 4–ए के अन्तर्गत जारी किया गया है, अतः यह भी सरकारी कम्पनियों पर लागू होगा। उक्त आर्डर के पैरा 4 के सब–पैरा (2) के अनुसार जिन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 25 लाख रु० से अधिक हो उनके लिए इन्टरनल आडिट प्रणाली का लागू किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्नक– उपरिलिखित आर्डर।

भवदीय,
भक्ति देव मुकर्जी,
उप सचिव।

संख्या 5369 (1) ब्यूरो 15/76

प्रतिलिपि उपर्युक्त आर्डर की प्रति सहित कम्पनीज ऐक्ट के अधीन गठित सार्वजनिक उद्योगों निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के सम्बन्धित अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
भक्ति देव मुकर्जी,
उप सचिव।